न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 210......../2019

अनवान

1 सुरेशकुमार पुत्र लिलाधर जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
2 कृष्णकुमार पुत्र लिलाधर जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — वादीगण

बनाम

1 लिलाधर पुत्र आदराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
2 सुनीता पुत्री लिलाधर जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
3 ओमकला पुत्री लिलाधर जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री मुन्शीराम गोस्वामी एडवोकेट : वादी

श्री सुरजीत बिजारणिया एड. प्रति0

निर्णय दिनाक : 11-3-2020

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा कुजी के खाता सं0 130/122 के खसरा सं0 61 की 5.350 हेक्टेयर बारानी खातेदारी प्रतिवादी लिलाधर के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही कणाऊ के खाता सं0 282/280 के ासरा सं0 424 की 1.327 हैक्टेयर खसरा सं0 461/1 की 4.831 हैक्टैयर खसरा सं0 478/1 की 0.797 हैक्टेयर खसरा सं0 480/1 की 4.249 हैक्टेयर खसरा सं0 602/2 की 0.974 हैक्टेयर कुल 12.178 हेक्टैयर बारानी खतेदारी प्रतिवादी लिलाधर के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिक[illegible] पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वाद[illegible] के [illegible]दा आदराम की खातेदारी हुआ करती [illegible] प्रतिवादीगण के साथ वादभूमि मे जन्म से हक अधिकार है जिसमे वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा बनता है। उक्त वादभूमि की बाबत वादी एंव प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया जिसमे प्रतिवादीगण सं0 2 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

3 ने वादभूमि मे अपना जो हक हिस्सा था वह वादीगण के पक्ष मे तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया जिस पर वादभूमि मे वादीगण को 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर एंव प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई थी। परन्तु रिकार्ड माल मे कुल वादभूमि आज भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादीगण के अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने अपनी तरफ से जवाबदावा पेश किया एंव वादीगण के दावा का अपने जवाबदावा मे कोई खण्डन पेश नही किया। प्रतिवादी सं0 4 स्टेट का जवाब पेश हुआ। जिस पर पत्रावली मे कोई विवाधक बनने नही पाये गये।

साक्ष्य वादी मे पी डब्लु — 1 सुरेश के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत प्रदर्श 1 व 2 तथा वादभूमि की दादालाई जमाबन्दी को एंव ग्राम पंचायत द्वारा सदस्य प्रमाण पत्र को अपनी साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाा। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरानत बहस वकील वादी एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दोराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का जन्म से हक एंव अधिकार है। वादीगण के दावा का प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है एंव वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है, इसलिये वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली मे पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है वह उसे अपने पिता से विरासतन मे मिली होना साबित है तथा पत्रावली मे [illegible] प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 [illegible] कि [illegible]गण की सगी बहने है जिन्होने अपना [illegible] छोडने का कथन किया है जिस पर कुल वादभूमि पॉच भागों मे थी जिसमे से वादीगण को अपनी बहनों [illegible] भूमि मिलने पर वादीगण को 4/5 हिस्सा एंव प्रतिवादी सं0 1 लिलाधर को 1/5 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

सुरेश बनाम लिलाधर आदि

ता 3 के अलावा प्रतिवादी लिलाधर के अन्य कोई पुत्र पुत्री या पत्नी नही है। इस प्रकार वादीगण अपने दावा को सावित करने मे सफल रहे है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कुजी के खाता सं0 130/122 के खसरा सं0 61 की 5.350 हेक्टेयर बारानी खातेदारी व रोही कणाऊ के खाता सं0 282/280 के ासरा सं0 424 की 1.327 हैक्टेयर खसरा सं0 461/1 की 4.831 हैक्टैयर खसरा सं0 478/1 की 0.797 हैक्टेयर खसरा सं0 480/1 की 4.249 हैक्टेयर खसरा सं0 602/2 की 0.974 हैक्टेयर कुल 12.178 हेक्टैयर बारानी खतेदारी जो प्रतिवादी लिलाधर के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमे वादीगण संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा के अनुसार एंव प्रतिवादी लिलाधर 1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूँकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण के नाम से संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी लिलाधर के नाम से 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:01 IST
Reason: SelfAttested

आर ए एस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़।
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 310/2019

अनवान

1 सुरेशकुमार पुत्र लिलाधर जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
2 कृष्णकुमार पुत्र लिलाधर जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
– वादीगण

बनाम

1 लिलाधर पुत्र आदराम जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
2 सुनीता पुत्री लिलाधर जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
3 ओमकला पुत्री लिलाधर जाति जाट निवासी कुजी तहसील भादरा।
– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एंव वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कुजी के खाता सं0 130/122 के खसरा सं0 61 की 5.350 हेक्टेयर बारानी खातेदारी व रोही कणाऊ के खाता सं0 282/280 के खसरा सं0 424 की 1.327 हैक्टेयर खसरा सं0 461/1 की 4.831 हैक्टैयर खसरा सं0 478/1 की 0.797 हैक्टेयर खसरा सं0 480/1 की 4.249 हैक्टेयर खसरा सं0 602/2 की 0.974 हैक्टेयर कुल 12.178 हैक्टेयर बारानी भूमि जो प्रतिवादी लिलाधर के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमे वादीगण संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा के अनुसार एवं प्रतिवादी लिलाधर 1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा कि प्रतिवादी सं0 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

सुरेश बनाम लिलाधर आदि

व 3 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण के नाम से संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी लिलाधर के नाम से 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनाक 11-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश कारैद)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
आर ए एस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner